2(क)

पत्रांक–3/एम0–05/2023सा0प्र0 13256/ (43)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक–21.8.2024

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित कतिपय पदों को स्पष्ट किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों में बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय एवं प्रक्रिया संसूचित किया गया है। उक्त संकल्प के प्रावधानों के आलोक में मात्र उन्हीं पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन किया जा सकता है, जो पद उक्त संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित हों। संकल्प के प्रावधान के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अलग–अलग आदेशों से कतिपय अन्य पद भी संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किये गये हैं।

2. मूल संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नांकित पद भी सम्मिलित हैं–

"6. प्रखण्डों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।

11. जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उसके अधीन कार्यालयों के लिपिक।

12. सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटंकक संवर्ग।"

उक्त पदों के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु बार–बार रेफरेन्स प्राप्त होते रहते हैं।

3. विदित हो कि–

(i) 01 अप्रील, 2010 से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के पदों से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा वापस ले लिया गया है। उक्त पदों के संदर्भ में बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा के गठन एवं उक्त सेवाओं के पदाधिकारियों के उपलब्ध होने तक के लिए उक्त पदों पर निम्नांकित संवर्ग के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था–

(क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी;

(ख) कृषि विभाग के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी;

(42)

(ग) ग्रामीण विकास विभाग के प्रसार पदाधिकारी एवं महिला प्रसार पदाधिकारी;
(घ) पंचायती राज विभाग के पंचायत पर्यवेक्षक;
(ङ) योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के सांख्यिकी पर्यवेक्षक;
(च) श्रम संसाधन विभाग के श्रम निरीक्षक;
(छ) सहकारिता विभाग के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 के साथ संलग्न अनुसूची के क्रम संख्या–6 पर अंकित पद का तात्पर्य उक्त वर्णित पदों से था।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–3026 दिनांक–13.02.2023 द्वारा "**6. प्रखण्डों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।**" को विलोपित किया जा चुका है। अतः उप कंडिका–(i) में वर्णित पद सम्प्रति संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं।

4. संकल्प की अनुसूची के क्रम संख्या–11 पर **जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उसके अधीन कार्यालयों के लिपिक** का तात्पर्य बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं प्रधान लिपिक से है।

उक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में पत्र संख्या–15884 दिनांक–21.08.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर को यह परामर्श दिया गया था कि जिला पदाधिकारी कार्यालय के प्रधान लिपिक का पद प्रासंगिक संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अतः पूर्व में उक्त पत्र द्वारा दिये गये परामर्श को वापस लिया जाता है।

5. संकल्प की अनुसूची के क्रम संख्या–12 पर **सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटंकक संवर्ग** का तात्पर्य बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय संवर्ग एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) आशुटंकक संवर्ग के सभी पदों से है।

6. अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन,

21/8/24

(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव